न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 52/2018

जी.सी.एम.एस. : 2018/00448

अपीलान्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्टगण
नवलसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली		1. नारायणसिंह गोद पुत्र उदेसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली 2. श्रीमति कंकु पत्नी श्री मुकनसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली 3. श्रीमान तहसीलदार मा0ज0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.1.24

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 139 स्वीकृत दिनांक 25.05.2012 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराने हुए कथन किया कि ग्राम बोगला पटवार हल्का चोकडिया में अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह की कब्जा काश्तशुदा सामलाती कृषि भूमि आयी हुई है, जो निम्नानुसार है– खसरा नम्बर 542 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 543 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 546 रकबा 1.4290 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.2909 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.4806 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.9359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, कुल खसरा 15 कुल रकबा 5.8173 हैक्टेयर

अति. जिला कलक्टर, पाली

कृषि भुमि आयी हुई है। उक्त आराजी के मुकनसिंह के देंहात के बाद अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कंकु पत्नी मुकनसिंह विधिक वारियान है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपीलाण्ट के बडे पिता उदेसिंह ने अपने जीवन काल में ही अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह की मृत्यु से पुर्व बालअवस्था में समाज के सामने सामाजिक रीतिरिवाज से गोद ले लिया एवं उदेसिंह की मृत्यु उपरांत उदेसिंह की पत्नी दलुबाई ने दिनांक 09.04.2003 को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को रजिस्टर्ड गोदनामें से गोद ले लिया जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 उदेसिंह की सम्पुर्ण आराजी का विधिक वारिसान हो गया एवं मुकनसिंह के विधिक वारिसान अपीलाण्ट संख्या 01 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 रहे गये, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने मुकनसिंह के फौत होने से फौतेदगी म्युटेशन भरते समय अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना व विधिक वारिसानों की जाचं किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के वितरित जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से जैर अपील म्युटेशन भर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 जैर अपील म्युटेशन की आड मे जैर आराजी को बेचने पर उतारू है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 139 दिंनाक 25.05.2012 को निरस्त करावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 25.05.2012 रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने भरते समय विधिक वारिसानों, एवं रेकर्ड दस्तावेजों की जांच कर भरा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का उदेसिंह के पक्ष में किसी प्रकार का रजिस्टर्ड गोदनामा नही किया हुआ न ही इससे संबधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध है। प्राकृतिक न्याय एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुकनसिंह के फौत हो जाने के उपरान्त प्रथम श्रैणी का विधिक वारिसान होने से जैर अपील आराजी में समान हकदार है। यह अपील झूठे आधारों एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 139 के दर्ज होने के लगभग 06 वर्ष पश्चात की है, जो प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अतः जैर अपील निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह के देहान्त होने से दर्ज किया गया था, जो नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी भी हिन्दु व्यक्ति के पुत्र, पुत्री वगैरा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है, जिससे किसी भी फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उक्त व्यक्ति के समस्त विधिक वारिसान की जानकारी करने के पश्चात एवं साक्ष्य सबुत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद ही राजस्व अधिकारियों को उनके समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए। हस्तगत अपील में नामान्तरकरण वर्ष 2012 में भरा गया है, जबकि जैर अपील नामान्तरकरण से संबधित गोदनामा वर्ष 2003 का है जो जैर अपील म्युटेशन से 09 वर्ष पुर्व रजिस्टर्ड है, ऐसे में रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेजो की जांच किये बिना ही जैर अपील नामान्तरकरण भरा गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत

अति. जिला कलक्टर, पाली

रखते हुए जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ग्राम बोगला पटवार हल्का चोकडिया के नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 25.05.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली